

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 822/2022

अनवान : -

1. इन्द्राज पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी वार्ड स0 2 तहसील नोहर।
2. विमलेश पत्नी राजसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड स0 2 नोहर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. भागुराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. माया देवी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. रामकिशन पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. रामजीलाल पुत्र हुकमाराम जाति सुथार निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. ललीत मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।
6. साधुसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रूपाना तहसील भादरा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 13/08/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चकसरदारपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 39/34 के ख0न0 321/25 की कुल 2.5013 हैक्ट भूमि वादीयान एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार है। वादी ने अपने हक हिस्से की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है। खाता मुश्तरका होने के कारण प्रतिवादीगण के साथ सींव लगान कास्त आदि का झगड़ा रहता है। इसलिए वादी अपना खाता व लगान मुताबिक कब्जा कास्त एवं अपने हक व हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी स0 1 ता 6 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारणवाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

अपखण्ड अधिकारी
नोहर



विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री फरमावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चकसरदारपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 39/34 के ख0न0 321/25 की कुल 2.5013 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1 भागुराम पुत्र बिरबलराम जाति जाट 438/12571 हि0 सा0 ललानाबास नथवानिया, मायादेवी पत्नी मनीराम जाति जाट सा0 पक्का सारणा तह0 हनुमानगढ़ 438/12571 हि0, रामकिशन पुत्र मनीराम जाति जाट सा0 भगवानसर 4059/12571 हि0, रामजीलाल पुत्र हुकमाराम जाति सुथार सा0 चक सरदारपुरा 439/12571 हि0, ललीत मोहन सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत सा0 22 एनटीआर 5058/12571 हि0 राहिन केनरा बैंक शाखा नोहर साधुसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख 2139/12571 हि0 साकिन रूपाना खातेदार


ख0न0 321/25 की 1.2571 हैक्ट बारानी प्रथम

2 इन्द्राज पुत्र श्योकरण जाति जाट, विमलेश पत्नी राजसिंह जाति राजपूत सा0 नोहर बहिब खातेदार

ख0न0 321/25 की 1.2422 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव राजीनामा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 822/2022

अनवान : -

1. इन्द्राज पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी वार्ड स0 2 तहसील नोहर।
2. विमलेश पत्नी राजसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड स0 2 नोहर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. भागुराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. माया देवी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. रामकिशन पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. रामजीलाल पुत्र हुकमाराम जाति सुथार निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. ललीत मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।
6. साधुसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रूपाना तहसील भादरा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 822 सन 2022 निर्णय दिनांक 13/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चकसरदारपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 39/34 के ख0न0 321/25 की कुल 2.5013 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. भागुराम पुत्र बिरबलराम जाति जाट 438/12571 हि0 सा0 ललानाबास नथवानिया, मायादेवी पत्नी मनीराम जाति जाट सा0 पक्का सारणा तह0 हनुमानगढ़ 438/12571 हि0, रामकिशन पुत्र मनीराम जाति जाट सा0 भगवानसर 4059/12571 हि0, रामजीलाल पुत्र हुकमाराम जाति सुथार सा0 चक सरदारपुरा 439/12571 हि0, ललीत मोहन सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत सा0 22 एनटीआर 5058/12571 हि0 राहिन केनरा बैंक शाखा नोहर साधुसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख 2139/12571 हि0 साकिन रूपाना खातेदार ख0न0 321/25 की 1.2571 हैक्ट बारानी प्रथम
2. इन्द्राज पुत्र श्योकरण जाति जाट, विमलेश पत्नी राजसिंह जाति राजपूत सा0 नोहर बहिब खातेदार ख0न0 321/25 की 1.2422 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव राजीनामा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 13/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर